कि प्रतिवादी सं० 1 व 2 खुर्द बुर्द करने पर आमदा है जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक, अधिकार नहीं है। अतः वादी का 1/3 हिस्सा निपत है भूमि खुर्द बुर्द होने पर हक से महरूम हो जा ऊगा, वादी उक्त आराजियात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वाद ग्रस्त आराजी को प्रतिवादी खुर्द बुर्द नहीं करे।

वाद पत्र व वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। उदा के वक्त केस प्राप्त पत्र पेश कर अवगत कराया गया कि सम्पत को गोद लिया गया परन्तु सम्पत सेवा चाकरी नहीं करता व लड़ाई झगड़ा करता है, अजियत गोदनामे की कार्यवाही सिविल न्यायालय में वाद पेश करना है।

<u>आदेश</u>

वादी खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना चाहता है जो संभव नहीं है अतः वादी को वाद पत्र खारीज किया जाता है।

खर्चा पार्टियान अपना - अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 7.7.2017 को कोर्ट कैम्प खेरवाड़ा में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रेणु मीना [illegible]

[illegible]

उनवान

1. सम्पत गौद पिता उदा, जाति कैरवा निवासी [illegible]खेड़ी
वादी

बनाम

1– उदा पिता डोरा जाति कैरवा निवासी [illegible]खेड़ी
2 श्रीमती [illegible] पत्नी उदा जाति कैरवा —"—
3 तहसीलदार (उपपंजीयक) हमीरगढ़

दावा बाबत– 188 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 12/17
निर्णय दिनांक :– 7.7.17

वादी की ओर से उपस्थित की व प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 7.7.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी **श्रीमती रेणु मीना**) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादी खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना चाहता है जो संभव नहीं है। अतः वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगें।

यह आज तारीख 7.7.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

7.7.17 पत्रावली कोर्ट कैम्प खैराबाद पर पेश प्रतिवादी अनुपस्थित। वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी उदा पुत्र हीरा का पुत्र है तथा श्रीमति केवु, उदा भागचन्द की पत्नी है। और उदा के कोई संतान नहीं होने से उदा ने अपने कब्जा के पुत्र सुरलीराम के पुत्र वादी सम्पत को हिन्दु रीति रिवाज अनुसार एवं सामाजिक प्रथानुसार गोदलिया तथा वादी सम्पत की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर प्रतिवादी उदा ने एक पंजीकृत गोदनामा निष्पादित करवाने की दिनांक से हकत हिस्सा नियत है

अतः प्रतिवादी सं. 2 की नियत में फितूर एवं दुर्भावना आ जाने से उक्त विवादित आराजी को वाद पत्र को चरण सं 2 अराजीपत

उ दे